@

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर

क्रमांक :– प.1(ग) ( )का/एसएमई/डीएलबी/18/ 546 दिनांक :– 13/4/18

(राज्य की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन)
विज्ञापन क्रमांक 1/2018

राज्य की 184 नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की ओर से इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है। आवेदन पत्र का प्रारूप, शर्तें व नगरीय निकायवार रिक्त पदों का विवरण स्वायत्त शासन विभाग की वेब साईट **www.lsg.urban.rajasthan.gov.in** व जनसम्पर्क निदेशालय की वेबसाईट **www.dipronline.org** तथा संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध है।

अर्हताएं :–

1. आवेदनकर्ता राजस्थान का मूल निवासी हो।
2. पद हेतु योग्यता : सीधी भर्ती के लिये अभ्यार्थी को किसी नगर पालिका/परिषद/निगम, केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों, स्वायतशाषी व अर्द्धशासकीय संस्थाओं में संवेदकों, प्लेसमेन्ट ऐजेन्सियों के माध्यम से सफाई कार्य करने का न्यूनतम एक वर्ष का अनुभव हो।

आयु सीमा :–

आवेदक की आयु दिनांक 01.01.2019 को न्यूनतम 18 वर्ष तथा अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए। उक्त पदो के लिए अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय होगी :–

(क) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट।
(ख) भूतपूर्व सैनिक के लिए उच्च आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
(ग) विधवा एवं विछिन्न विवाह/तलाकशुदा महिलाओं के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
(घ) विकलांग अभ्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में राज्य सरकार के नियमानुसार छूट देय होगी।

आरक्षण :–

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग/विकलांग/महिलाओं/ विधवा एवं विछिन्न विवाह/तलाकशुद्वा महिलाओं आदि को नियमानुसार आरक्षण दिया जायेगा।
2. जाति प्रमाण पत्र :– राजस्थान सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य होंगें।
3. अधिसूचना क्रमांक एफ.7(2)डीओपी/ए–द्वितीय/2017 दिनांक 21.12.2017 के अनुसार राजस्थान राज्य के अति पिछड़ा वर्ग की जातियां (नॉन क्रिमीलेयर) को एक प्रतिशत आरक्षण देय है।

चयन प्रक्रिया :–

राजस्थान नगर पालिका (सफ़ाई कर्मचारी सेवा) नियम, 2012 एवं संशोधित नियम 2018 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार प्राप्त आवेदन पत्रों की जांच की जाकर पात्र अभ्यर्थियों का लॉटरी के माध्यम से चयन किया जायेगा।

पारिश्रमिक/वेतन :–

चयनित अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रथम दो वर्ष के लिए परिवीक्षा काल में राज्य सरकार द्वारा नियत पारिश्रमिक (फिक्स रेम्युनरेशन)देय होगा। परिवीक्षा अवधि एक वर्ष तक कार्य सन्तोष जनक नहीं होने पर बढायी जा सकेगी अथवा सेवा से पृथक भी किया जा सकेगा।

समयावधि :–

आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, संबंधित नगर निगम/परिषद/पालिका के पते पर कार्यालय में दिनांक 16.04.2018 से 15.05.2018 को सांयकाल 5.00 बजे

तक पंजीकृत डाक अथवा व्यक्तिशः प्राप्त आवेदन स्वीकार किये जावेंगें। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, ना ही इस हेतु कोई सूचना देय होगी।

अपात्रता :–

किसी भी अभ्यर्थी के दिनांक 01 जून, 2002 को या इसके बाद दो से अधिक संतान होने की अवस्था में अभ्यर्थी का आवेदन निरस्त योग्य होगा, लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के पूर्वोत्तर प्रसव से एक ही संतान हो, तो पश्चावर्ती प्रसव से पैदा होने वाले जुडवां बच्चों को एक ही इकाई (यूनिट)समझा जावेगा।

किसी अभ्यर्थी के बच्चों की गणना के प्रयोजन से पूर्ववर्ती प्रसव से यदि निशक्तः संतान है तो उसकी गणना नही की जावेगी।

यदि कोई अभ्यर्थी कानून वैध तरीके से पुर्नविवाह करता है एवं यदि पुर्नविवाह से पहले वह नियुक्ति के लिये पात्र है तो पुर्नविवाह के पश्चात एक प्रसव से उत्पन्न होनी वाली संतान के आधार पर वह अयोग्य घोषित नही होगा।

आवेदन शुल्क :–

आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क राशि रूपये 100/– का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर या बैंक का डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा करवाना आवश्यक होगा जो आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी" नगर निगम/परिषद/पालिका .... के पक्ष में देय होगा, जो ....में भुगतान योग्य हो। निर्धारित शुल्क के अभाव में आवेदन पत्र स्वतः निरस्त माना जावेगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आवेदन शुल्क राशि रूपये 50/– देय होगी।

आवेदन पत्र भेजने का पता :–

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिका,
............(संबंधित)................

शर्तें :–

1. आवेदक अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय में केवल एक ही आवेदन कर सकता है। आवेदक द्वारा एक से अधिक नगरीय निकायों में आवेदन करने पर अथवा एक पालिका में एक से अधिक आवेदन करने पर आवेदक के ऐसे सभी आवेदन पत्र निरस्त माने जावेगें। एक ही नगरीय निकाय में एक ही आवेदन करने के तथ्य के संबंध में आवेदक को शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रारूप "अ" अनुसार।
2. भर्ती प्रक्रिया में नियोक्ता अधिकारी/चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा।
3. जन्म तिथि प्रमाण–पत्र, जन्म प्रमाण पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्र के अभाव में एवं अपूर्ण आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा इस बाबत कोई सूचना नहीं दी जावेगी।
4. उक्त पदों पर चयन हेतु आवेदक को यात्रा भत्ता अथवा किसी व्यय का पुनर्भरण इत्यादि देय नहीं होगा।
5. राज्य सरकार द्वारा प्रावधित अधिनियम, नियम, निर्देश, आदेश एवं शर्तो के अधीन यह चयन एवं नियुक्ति की जावेगी। नियुक्ति के समय मूल दस्तावेजों से मिलान कर सत्यापन किया जावेगा एवं चिकित्सक प्रमाण पत्र तथा पुलिस से सत्यापन के अध्यधीन नियुक्तियां होगी।
6. नियुक्ति पत्र जारी होने के बाद निर्धारित अवधि में कार्यभार संभालना होगा तथा निर्धारित अवधि के बाद यह नियुक्ति आदेश बिना किसी सूचना के स्वतः निरस्त हो जायेगा। विशेष परिस्थितियों में नियोक्ता अधिकारी यह अवधि बढा सकेगा।
7. उक्त रिक्त पदो के विरूद्ध नियुक्त चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन/स्थानान्तरण राज्य के किसी भी नगरीय निकाय में किया जा सकेगा।

8. पूर्व में स्वायत्त शासन विभाग द्वारा सफाई कर्मचारियो की भर्ती के लिए जारी विज्ञापन संख्या 1/12 दिनांक 25.05.12 एवं 2/12 दिनांक 31.05.12 के कम में जिन नगरपालिकाओं में भर्ती प्रकिया पूर्ण कर योग्य अभ्यार्थियो को नियुक्ति प्रदान नहीं की गई है, के संबंध में उक्त दोनो भर्ती विज्ञापन संख्या 1/12 दिनांक 25.05.12 एवं 2/12 दिनांक 31.05.12 प्रत्याहारित करने की पृथक सूचना विभाग द्वारा जारी कर दी गई है। ऐसी नगरपालिकाओं में उक्त भर्ती विज्ञप्तियों के अनुक्रम में जो आवेदन प्रस्तुत किये गये है, वे आवेदन इस नवीन भर्ती विज्ञप्ति संख्या 1/2018 में सम्मिलित होगें। ऐसे अभ्यर्थियों की सूची संबंधित नगर निकाय द्वारा दिनांक 21.4.18 तक नोटिस बोर्ड पर चस्पा की जायेगी तथा ऐसे आवेदको को निर्धारित आयु सीमा में मानते हुए उनके आवेदनो को भर्ती प्रकिया में शामिल कर संबंधित नगरपालिका द्वारा निर्णय लिया जावेगा।
9. अभ्यार्थी द्वारा कोई गलत दस्तावेज/तथ्य प्रस्तुत किये जाने के आधार पर नियुक्ति हो जाने के बाद ऐसे प्रस्तुत गलत दस्तावेज/तथ्य ज्ञात होने पर अभ्यार्थी की नियुक्ति स्वतः निरस्त हो जावेगी तथा इसके लिए चयनकर्ता/संबंधित अधिकारी जिम्मेदार नहीं होगें।
10. रिक्त पदों की संख्या विभाग द्वारा घटायी/बढायी जा सकती है।

आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची :-

1. आयु संबंधित प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, की सत्यापित प्रतिलिपि।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य-अनुभव प्रमाण पत्र, (यदि कोई हो तो)
   स्पष्टीकरणः-सक्षम अधिकारी से तात्पर्य-नगर निगम स्तर के लिये उपायुक्त, नगर परिषद एवं नगर पालिका स्तर के लिये आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, केन्द्र/राज्य सरकार के कार्यालयों में संवदेक के कार्मिकों के लिये संवेदक द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर संबंधित विभाग के कार्यालयाध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर, स्वायत्तशाषी व अर्द्वशासकीय सस्थाओं एवं उपक्रम के कार्यालयाध्यक्ष,प्लेसमेंन्ट एजेन्सियों के लिये प्रोपराईटर द्वारा जारी प्रमाण पत्र पर कार्यालयाध्यक्ष के प्रति हस्ताक्षर से अभिप्रेत है।
3. आवेदक द्वारा एक ही नगरीय निकाय में एक ही आवेदन प्रस्तुत करने का निर्धारित प्रारूप में तस्दीकशुदा शपथ-पत्र एवं दिनांक 01 जून, 2002 के पश्चात् दो से अधिक बच्चे नहीं होने का शपथ पत्र।
4. दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों का छः माह की अवधि में दिया गया मूल चरित्र प्रमाण पत्र जो कि आवेदक को गत तीन वर्षों से जानता हो एवं उसका रिश्तेदार नहीं हो।
5. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति/जनजाति/आर्थिक पिछडा वर्ग/अन्य पिछडा वर्ग/अति पिछडा वर्ग प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
6. राजस्थान का मूल निवासी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा विधिवत जारी मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
7. विवाहित होने की स्थिति में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
8. विधवा होने की दशा में पति के मृत्यु प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
9. विछिन्न विवाह/तलाकशुदा होने की दशा में विछिन्न विवाह/तलाक शुदा का सबूत/प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि।
10. आरक्षण अथवा आयु में छूट हेतु संबंधित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतिलिपि।
11. निर्धारित आवेदन शुल्क राशि का रेखांकित पोस्टल ऑर्डर/बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव

स्वायत्त शासन विभाग

राज्य की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों के स्वीकृत एवं वर्तमान में रिक्त पदों का निकायवार विवरण :–

क.सं.	नाम नगरीय निकाय	रिक्त पदों की संख्या
1	2	3
1	अजमेर	1115
2	ब्यावर	161
3	किशनगढ	161
4	केकडी	113
5	पुष्कर	97
6	विजयनगर (अजमेर)	68
7	सरवाड	40
8	भीलवाडा	320
9	गुलाबपुरा	14
10	गगापुर	8
11	जहाजपुर	53
12	आसीन्द	9
13	माण्डलगढ	8
14	शाहपुरा (भीलवाडा)	20
15	नागौर	50
16	लाडनू	127
17	मेडतासिटी	50
18	मकराना	39
19	परबतसर	56
20	नांवा	12

21	कूचेरा	8
22	मूण्डवा	7
23	डीडवाना	34
24	कुचामनसिटी	28
25	टोंक	391
26	देवली	22
27	निवाई	29
28	मालपुरा	29
29	टोडारायसिंह	33
30	उनियारा	19
31	बीकानेर	395
32	नोखा	61
33	श्रीडूँगरगढ़	19
34	देशनोक	20
35	श्रीगंगानगर	144
36	रायसिंहनगर	32
37	अनूपगढ़	43
38	केसरीसिंहपुर	9
39	पदमपुर	14
40	करणपुर	28
41	सार्दुलशहर	19
42	श्रीविजयनगर	28
43	गजसिंहपुर	8
44	सूरतगढ़	64
45	हनुमानगढ़	134
46	भादरा	30

47	नोहर	38
48	रावतसर	55
49	संगरिया	79
50	पीलीबंगा	36
51	चुरू	59
52	तारानगर	19
53	रतननगर	24
54	रतनगढ़	58
55	राजगढ	131
56	छापर	17
57	राजलदेसर	26
58	बीदासर	21
59	सुजानगढ़	88
60	सरदारशहर	45
61	जयपुर	4961
62	चौमू	71
63	फुलेरा	9
64	किशनगढ	54
65	सांभरलेक	19
66	शाहपुरा	19
67	चाकसू	20
68	बगरू	9
69	कोटपूतली	24
70	जोबनेर	31
71	विराटनगर	6
72	दौसा	76

73	लालसोट	14
74	बांदीकुई	16
75	धौलपुर	99
76	बाड़ी	11
77	राजाखेड़ा	113
78	अलवर	456
79	खैरथल	14
80	तिजारा	20
81	खैरली	16
82	राजगढ	65
83	बहरोड	31
84	भिवाडी	202
85	सीकर	161
86	नीमकाथाना	19
87	श्रीमाधोपुर	57
88	रींगस	15
89	लोसल	11
90	रामगढ़	6
91	खण्डेला	27
92	फतेहपुर शेखावाटी	64
93	लक्ष्मणगढ़	24
94	झुन्झुनू	166
95	पिलानी	21
96	विद्याविहार	24
97	खेतडी	33
98	मुकन्दगढ	25

99	बिसाउ	18
100	नवलगढ	49
101	चिडावा	25
102	उदयपुरवाटी	28
103	सूरजगढ	16
104	बग्गड	15
105	मण्डावा	4
106	जोधपुर	2075
107	बिलाडा	215
108	पिपाड	110
109	फलौदी	119
110	बाडमेर	88
111	बालोतरा	66
112	जैसलमेर	33
113	पोकरण	44
114	जालौर	54
115	भीनमाल	31
116	सांचोर	39
117	सिरोही	49
118	शिवगंज	40
119	पिण्डवाडा	19
120	आबूरोड	26
121	आबूपर्वत	51
122	पाली	161
123	सोजत	23
124	जैतारण	125

125	सुमेरपुर	83
126	तख्तगढ	13
127	रानी	51
128	बाली	14
129	सादडी	13
130	खुडाला फालना	14
131	कोटा	1821
132	कैथून	22
133	रामगंजमण्डी	25
134	सांगोद	74
135	झालावाड	25
136	झालरापाटन	26
137	भवानीमण्डी	23
138	अकलेरा	7
139	पिडावा	8
140	बून्दी	59
141	केशवरायपाटन	51
142	कापरेन	98
143	लाखेरी	67
144	इन्द्रगढ	18
145	नैनवा	68
146	बांरा	103
147	अन्ता	58
148	मांगरोल	39
149	छबडा	41
150	सवाईमाधोपुर	55

151	गंगापुर	41
152	हिण्डौन	25
153	उदयपुर	1174
154	फतेहनगर सनवाड	24
155	भिण्डर	26
156	कानोड	39
157	सलूम्बर	14
158	बांसवाडा	219
159	कुशलगढ	23
160	डूंगरपुर	33
161	सागवाडा	26
162	चित्तौड	97
163	निम्बाहेडा	45
164	कपासन	26
165	बडीसादडी	18
166	बेगू	15
167	रावतभाटा	192
168	प्रतापगढ	53
169	छोटीसादडी	14
170	राजसमन्द	79
171	नाथद्वारा	56
172	देवगढ	23
173	आमेट	24
174	करौली	27
175	टोडाभीम	16
176	भरतपुर	352

177	वैर	7
178	भुसावर	21
179	बयाना	47
180	डीग	56
181	कुम्हेर	7
182	नगर	9
183	कामां	15
184	नदबई	20
	कुल योग	**21136**

नगर पालिका नसीराबाद, डेगाना, नापासर, महुआ, किशनगढबास, ईटावा एवं रूपवास नवगठित नगर पालिका होने के कारण स्टॉफिंग पैटर्न में सफाई कर्मचारियों के पद स्वीकृत नहीं है।

(पवन अरोडा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव